मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, **किसान** भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/35-6/महिदपुर/पी/ 620 भोपाल, दिनांक 06.02.2019

प्रति,

कार्यपालन यंत्री, (एमटी)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

तकनीकी कार्यालय.....................

विषय :- **मण्डी समिति की स्थाई निधि** से राशि स्वीकृत किए जाने की **प्रक्रिया** के संबंध में।

संदर्भ :- **कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड,** उज्जैन का पत्र **क्रमांक**/1550 दिनांक 25.01.2019

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डी समिति की स्थाई निधि से राशि स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया कार्यालयीन पत्र क्र./बोर्ड/स्वी/विविध/751/377 दिनांक 24.06.2008 से जारी की गई थी **(छायाप्रति संलग्न है)**। मण्डी बोर्ड द्वारा जारी पत्र क्रमांक /बोर्ड/निर्माण/308/पार्ट/निर्देश/2018-19/1591 दिनांक 05.10.2018 में निर्माण विषयक निर्देश हैं। उपरोक्तानुसार परिपत्र जारी होने से स्थाई निधि से राशि की स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में भ्रांति हुई है। उल्लेखनीय है कि परिपत्र दिनांक 05.10.2018 से पूर्ववर्ती परिपत्र निर्माण शाखा द्वारा जारी पत्र क्रमांक/140 दिनांक 12.01.2007 से जारी किए गए निर्देशों में आवश्यक संशोधन किया गया है। उक्त निर्देशों से राशि स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अत: स्थाई निधि से स्वीकृति जारी किए जाने के संबंध में पूर्ववर्ती जारी निर्देश दिनांक 24.06.2008 यथावत लागू रहेंगे।

(फैज़ अहमद किदवई)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/35-6/महिदपुर/पी/ भोपाल, दिनांक .02.2019

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. प्रमुख अभियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. अपर संचालक(वित्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.......

आयुक्त सह प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/35-6/महिदपुर/पी/ भोपाल, दिनांक .02.2019

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी कार्यालय.....................

विषय :- **मण्डी समिति की स्थाई निधि से राशि स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में।**

संदर्भ :- **कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, उज्जैन का पत्र क्रमांक/1550 दिनांक 25.01.2019**

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डी समिति की स्थाई निधि से राशि स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया कार्यालयीन पत्र क्र./बोर्ड/स्वी/विविध/751/377 दिनांक 24.06.2008 से जारी की गई थी (छायाप्रति संलग्न है)। मण्डी बोर्ड द्वारा जारी पत्र क्रमांक /बोर्ड/निर्माण/308/पार्ट/निर्देश/2018-19/1591 दिनांक 05.10.2018 में निर्माण विषयक निर्देश हैं। उपरोक्तानुसार परिपत्र जारी होने से स्थाई निधि से राशि की स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में भ्रांति हुई है। उल्लेखनीय है कि परिपत्र दिनांक 05.10.2018 से पूर्ववर्ती परिपत्र निर्माण शाखा द्वारा जारी पत्र क्रमांक/140 दिनांक 12.01.2007 से जारी किए गए निर्देशों में आवश्यक संशोधन किया गया है। उक्त निर्देशों से राशि स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अत: स्थाई निधि से स्वीकृति जारी किए जाने के संबंध में पूर्ववर्ती जारी निर्देश दिनांक 24.06.2008 यथावत लागू रहेंगे।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/35-6/महिदपुर/पी/ 621 भोपाल, दिनांक 06.02.2019

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. प्रमुख अभियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. अपर संचालक(वित्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.......

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान–भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/751/377 भोपाल, दिनांक 24/06/2008

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला ....(म.प्र.)

विषय– मण्डी समिति की स्थाई निधि से राशि स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया।

....0000....

म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 25 क(6) में यह प्रावधान है कि स्थाई निधि में से कोई भी व्यय संचालक के पूर्व अनुमोदन या उसके द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार ही उपगत किया जायेगा अन्यथा नही। अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत मण्डी समिति निधि के व्यय के लिये विभिन्न प्रयोजन निर्दिष्ट किये गये है। वर्तमान मे कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा स्थाई निधि से प्रस्तावित विभिन्न अधोसरंचना विकास कार्यो के लिये व्यय की अनुमति के प्रस्ताव बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है। कतिपय प्रकरणों की समीक्षा में यह पाया गया कि मण्डी समितियों को स्थाई निधि से व्यय करने की जारी की गई स्वीकृति में संशोधन/पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। इसका मुख्य आधार निविदा दरों में वृद्धि के फलस्वरूप कार्य की लागत में वृद्धि होती है। वर्तमान प्रकिया में प्रथमतः स्थाई निधि से व्यय की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। इसके उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा इत्यादी की कार्यवाही संपादित की जाती है। इस विसंगति से स्थाई निधि की स्वीकृति प्राप्त करते समय मण्डी समिति एवं मण्डी बोर्ड मुख्यालय पर यह आंकलन नही रहता कि प्रस्तावित कार्य की वास्तविक लागत क्या होगी जिससे स्थाई निधि से प्राप्त स्वीकृति के संशोधन/पुनरीक्षण की आवश्यकता पडती है।

उपरोक्त विसंगति को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड के संचालक मण्डल की 109 वी बैठक दिनांक 27.5.2008 में प्रस्ताव कंमांक–26 में स्थाई निधि से व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रकिया में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार संशोधित व्यवस्था में मण्डी समिति प्रथमतः प्रस्तावित कार्यो का चयन कर सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करेगी एवं इसके उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुए निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। निविदा स्वीकृत होने के उपरांत मण्डी समितियों द्वारा समस्त कार्यो के कार्यादेश जारी किए जाएंगे। इसके उपरांत ही समस्त अभिलेख संलग्न करते हुए स्थाई निधि से स्वीकृति के प्रस्ताव बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किए जायेंगे। बोर्ड मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर स्थाई निधि से व्यय की स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

20/06/08

swk_3

उक्त प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व मण्डी समिति का यह दायित्व होगा कि वे निधि से कार्य प्रस्तावित करने तथा निविदा बुलाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि समिति की स्थाई निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। मण्डी समिति द्वारा कार्यो के करने के उपरांत आवश्यक राशि मण्डी समिति की स्थाई निधि में आरक्षित की जायेगी इसके विरूद्ध अन्य कोई कार्य स्वीकृति के लिये प्रस्तावित नही किये जायेगे।

अतः मण्डी की स्थाई निधि से स्वीकृति के प्रस्ताव भेजते समय उपरोक्त प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जावे।

(कार्यवाही संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित)

(एस. एस. उप्पल) 20/06/08
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / स्वी / विविध / 751/378

भोपाल, दिनांक 24 / 06 / 2008

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.............................। कृपया मण्डी समिति से प्राप्त प्रस्ताव भेजने के पूर्व उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे।
3. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.............................
4. उपसंचालक, बोर्ड बैठक शाखा, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक 20/6/08
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल